कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक 1865 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 17, जनवरी, 2022.

सेवा में,

सहायक जनरल मैनेजर,
टोरेंट गैस प्रा0 लि0,
प्रथम तल, मंझोली चौराहा,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–चन्दौसी मार्ग (एन0एच0–509) कि0मी0 चैनेज 20.00 से 34.100 तक मार्ग की बॉयी पटरी, मुरादाबाद–सम्भल मार्ग (एस0एच0–148) कि0मी0 चैनेज 6.180 से 16.140 तक मार्ग की बॉयी पटरी, मेरठ–बरेली मार्ग (एन0एच0–24) कि0मी0 चैनेज 160.00 से 164.100 तक दॉयी पटरी , मेरठ–बरेली मार्ग (एन0एच0–09) 166.00 से 174.900 तक मार्ग की दॉयी पटरी एवं मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा–काशीपुर मार्ग (एन0एच0–734) कि0मी0 चैनेज 0 से 2.200 तक मार्ग की बॉयी पटरी पर 6 इंची व्यास की स्टील पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 2.3544 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
(प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/पाईपलाईन/120844/2021)

सन्दर्भः– सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–2404/81–2–2021–800 (138)/2021 दिनांक 08–01–2022.

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि0 08–01–2022 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 19 तक के संबन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501/11–सी0 दिनांक24–05–2016 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 14–09–2015 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र **(5 प्रतियॉ मूल में)** अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके:–

1. संरक्षित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।
2. भूमिगत गैस पाइप लाईन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगें।
3. गैस पाइप लाईन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
4. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोंदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो।
5. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षरण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8. भूमि का सरफेस राइट्स नही दिया जायेगा एवं वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
9. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत् में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0),क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण में वांछित धनराशि **रू0–22,54,998.00/–(भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक–5–3/2011–एफ0सी0 (वोल–1,) दिनांक 06–01–2022 के क्रम में)** ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
12. भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या–जे–11013/41/2006–आई0ए0–।।(।), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

13. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

14. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98 एफसी, दि0 8–7–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

15. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

16. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

17. परियोजना में गैस पाइपलाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।

18. उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

19. राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07–01–2011 **(प्रति संलग्न)** मे अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइपलाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, स्वयं उत्तरदायी होंगें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

17/1

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।

2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

3– क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुरादाबाद एवं बिलारी।

4– लेखा प्रभारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

महत्वपूर्ण / आवश्यक
(ई–मेल द्वारा)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–2501 /11–सी– दिनांक, लखनऊ, मई 24 2016

सेवा में,

समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों पर अनुपालन आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (मध्य क्षेत्र), लखनऊ का पत्रांक–II/FC/ROC/95-20011/Part-V/1222, dated 02.02.2016

2394
3-6-2016

महोदय,

भारत सरकार ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2016 से अवगत कराया है कि उनके स्तर से वनभूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों पर जो आपत्तियाँ लगाई जाती है, उनके निराकरण में अधिकांश प्रकरणों में आपके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर पर कवरिंग पत्र लगाते हुए उसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित कर दी जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। इस क्रम में भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि वनभूमि हस्तांतरण के जिन प्रकरणों पर उनके द्वारा आपत्ति (Observations) लगायी जाती है उन पर अनुपालन आख्या मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन संरक्षक द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रारूप में प्रेषित किया जाए–

Observ No	Observation of GOI	Reply
1	2	3
1		
2		
3		
4		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
8		
9		

इसी प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त अंतिम स्वीकृति निर्गत कराये जाने हेतु जो अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है, वह भी निम्न प्रारूप में प्रेषित की जाए–

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Letter-43

0522-2204365/cfccampaup@gmail.com

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक- 584/2-37-2(e-payment portal) दिनांक, लखनऊ सितम्बर , 2015

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 आदि से सम्बन्धित याचक विभाग से प्राप्त क्षतिपूर्ति उगाही (Compensatory levies) को इलेक्ट्रानिक भुगतान (e-payment module) से जमा किया जाना।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 246/2-37-2, दिनांक 26.08.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा एड-हॉक कैम्पा भारत सरकार के पत्र संख्या-12-2/2010-CAMAP दिनांक 19.08.2015 द्वारा उपरोक्त विषयक प्राप्त लेवीज को NIC के सहयोग से विकसित e-payment portal के माध्यम से जमा कराने पर एड-हॉक कैम्पा द्वारा भुगतान स्वीकार किया जाना जायेगा।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि 14 सितम्बर 2015 तक भुगतान e-payment portal से किया जाना वैकल्पिक (optional) होगा। इसके उपरान्त अर्थात 15 सितम्बर, 2015 से भुगतान सिर्फ e-payment portal के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।

उक्त मामले में भारत सरकार के पत्र संख्या-12-2/2010-CAMAP दिनांक 10.09.2015 द्वारा सूचित किया गया है भुगतान e-payment portal पर अब 14 अक्टूबर, 2015 से लागू मानी जाएगी। अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(संजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक ... 28 2015

प्रतिलिपि:- समस्त उप प्रभागीय निदेशक/कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 2649 / 11सी- गाईडलाईन , लखनऊ, दिनांक: जनवरी 07, 2022

सेवा में,

1- समस्त मण्डलीय, जोनल मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0

2- समस्त वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0।

3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, उ0प्र0।

विषय- भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा रिवाईज वर्तमान एन0पी0वी0 की दर का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्रांक- 5-3/2011-एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा वर्तमान एन0पी0वी0 की दर रिवाईज की गयी है।

अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रिवाईज वर्तमान एन0पी0वी0 की दर का अनुपालन करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

3899
10-1-2022

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- / 11सी- गाईडलाईन दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0 लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
6- अपर प्रधान मुख्य संरक्षक प्रभारी मुख्य वन संरक्षक / कार्यकारी अधिकारी (कैम्पा), उ0प्र0, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ

File No.5-3/2011-FC(Vol-I)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
******

Indira Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 6th January, 2022

To

The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All States Governments/ Union Territory Administration

Sub: Revision of rates of Net Present Value – reg

Sir,

I am directed to invite your attention to Hon'ble Supreme Court's order dated 28.03.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1996 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India and Ministry' guidelines dated 05.02.2009 wherein rates to Net Present Value (NPV) to be realized in lieu of diversion of forest land have been fixed based on the outcome scientific assessment of ecosystem goods and services. Hon'ble Supreme Court in the said order has also directed the MoEF&CC for upward revision of the NPV rates.

2. In compliance of order dated 28.03.2008 of Hon'ble Court and with the approval of the competent authority, the following revised NPV rates have been prescribed for levying NPV in lieu of diversion of forest land:

Table: Revised NPV rates based on fitment factor of 1.53

(in Rs.)

Eco-Class	Very Dense	Dense	Open
Class-I	1595790	1436670	1116900
Class-II	1595790	1436670	1116900
Class-III	1357110	1228590	957780
Class-IV	957780	861390	670340
Class-V	1436670	1292850	1005210
Class-VI	1516230	1372410	1069470

xiv.Wind Power Projects	50% of the minimum NPV rate, provided, minimal tree felling is involved; irrespective of the eco-class in which the project lies.
xv.Hydroelectric Projects up to 25 MW capacity	50% of the applicable rates of the forest land actually diverted for setting up of such projects, provided, the project involves felling of not more than 5 trees per hectare.
xvi.Field Firing Range (FFR) of Defence Ministry not involving felling of trees and no likelihood of destruction of forests	At the rate of 20 % of the normal rates of NPV for the forest areas falling within the impact zone. The forest areas falling within safety zone of FFRs shall be fully exempted from the requirement of payment of NPV.
xvii.The area of riverbed in a proposed water reservoir, that is to be under permanent submergence throughout the year	50 per cent of the normal rate applicable to the area.

Yours faithfully,

Sd/

(Sandeep Sharma)
Asst. Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments/UTs
2. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State Governments/UTs
3. The Regional Officer, All Integrated Regional Offices of the MoEFCC
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEFCC, New Delhi
5. Guard File

Eco-Class-I:	Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi-evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests
Eco-Class-II:	Littoral and Swamp Forests
Eco-Class-III:	Tropical Dry Deciduous Forests
Eco-Class-IV:	Tropical Torn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class-V:	Sub-tropical Broad-Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine Forests and Sub-Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class-VI:	Montane Wet Temperature Forests, Himalayan Moist Temperature Forests, Himalayan Dry Temperature Forests, Sub Alpine Forest, Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

3. NPV shall be charged to the extent of ten times of the normal NPV payable in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount shall be five times the NPV payable for the adjoining forest area.

4. The proposals under the following categories are exempted from [illegible] to the extent as mentioned in the list below:

Category	Conditions
i. Schools ii. Hospital iii. Children's playground of non-commercial nature iv. Community centres in rural areas. v. Over-head tanks vi. Village tanks vii. Laying of underground drinking water, irrigation and PNG pipeline upto 4 inch diameter viii. Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	Full exemption upto 1 ha. of forest land, provided a. no felling of trees is involved; b. alternate forest land is not available; c. the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and d. the area is outside National Park/ Sanctuary

ix. Relocation of villages form the National Parks/ Sanctuary to alternate forest land	Full exemption
x. Collection of boulders/silts from the river belts in the forest area.	Full exemption, provided:- (a) area is outside National Park/ Sanctuary; (b) no mining lease is approved/signed in respect of this area, (c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee; (d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and (e) the sale proceeds are used for protection/conservation of forests.
xi. Laying of underground optical fiber cable	Full exemption, provided: (a) no felling of trees is involved; and (b) area falls outside National Park / Sanctuary.
xii. Pre-1930 regularization of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF&CC's Guidelines dated 18.9.1990.
xiii. Underground mining	(see table below)

Surface strain predicted by 3-D subsidence prediction model	NPV to be paid
i. Up to 5mm/m	NIL
ii. 5mm to 10 mm/m	10% of normal rates
iii. 10 mm/m to 15 mm/m	25% of normal rates
iv. 15 mm/m to 20 mm/m	50% of normal rates
v. more than 20 mm/m	At Normal rates

D. Man ...
प्र0 3170 ...
13-01-2022

सं0-2404/81-2-2021-800(138)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक,०६ जनवरी, 2022

विषय- जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्रा0लि0 मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0एच0-509) किमी0 चैनेज 20.00 से 34.100 तक बांयी पटरी पर, मुरादाबाद-सम्भल मार्ग (एस0एच0-148) किमी0 चैनेज 6.180 से 16.140 तक बांयी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (एन0एच0-24) किमी0 चैनेज 160.050 से 164.100 तक दांयी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (न्यू एन0एच0-09) किमी0 चैनेज 166.000 से 174.900 तक बांयी पटरी एवं मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर मार्ग (न्यू एन0एच0-734) किमी0 चैनेज 0 से 2.200 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 2.3544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 एफपी/यू0पी0/पाइपलाइन/120844/2021)

3974
15-1-2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-147/11-सी/-एफपी/यू0पी0/पाइप लाइन/120844/2021, दिनांक 13-07-2021, पत्र संख्या-1831/11-सी/-एफपी/यू0पी0/पाइप लाइन/120844/2021, दिनांक 21-12-2021, कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-4 के बिन्दु- 4.2 तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी, दिनांक 27-7-2020 पत्र सं0-II/एफ0सी0/आर0ओ0सी0/95-2015(Part-vI, दिनांक 22.11.2021 एवं पत्र दिनांक 03.11.2021 मे विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्रा0लि0 मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0एच0-509) किमी0 चैनेज 20.00 से 34.100 तक बांयी पटरी पर, मुरादाबाद-सम्भल मार्ग (एस0एच0-148) किमी0 चैनेज 6.180 से 16.140 तक बांयी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (एन0एच0-24) किमी0 चैनेज 160.050 से 164.100 तक दायी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (न्यू एन0एच0-09) किमी0 चैनेज 166.000 से 174.900 तक बांयी पटरी एवं मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर मार्ग (न्यू एन0एच0-734) किमी0 चैनेज 0 से 2.200 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 2.3544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

1 सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2 भूमिगत गैस पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3 गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मी0 गहराई 1.00 मी0 चौड़ाई से अधिक न होगी।
4 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

6 वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

7 प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

8 भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

9 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

10 प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

11 प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

12 भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

13 प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

14 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।

15 यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

16 समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

17 परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।

18 उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

19 राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाईप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)-उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ।

(3)- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, मुरादाबाद ।

(5)- प्रबंधक, टोरेन्ट गैस प्रा0लि0,1 फलोर, मझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-11सी- 2094/FP/UP/Pipeline/120844/2021 लखनऊ, दिनांक, जनवरी 12 ,2022

प्रतिलिपि:- 1 वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11-सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्कम में इस कार्यालय के पत्रांक-582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- 2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11 सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्कम में इस कार्यालय के पत्रांक-582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर सम्बन्धित अभिलेखों एवं इस कार्यालय के पत्रांक-2657/11 सी, दिनांक 15.06.2017 द्वारा प्रेषित उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संस्तुति सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- 3. प्रबन्धक,, टोरेन्ट गैस प्रा0लि0, 1 फ्लोर, मझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्कम में इस कार्यालय के पत्रांक 582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।